रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED NO. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 265] नई दिल्ली, वृहस्पतिवार, मई 30, 1985/ज्येष्ठ 9, 1907
No. 265] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 30, 1985/JYAISTHA 9, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

ठक्कर जांच आयोग

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 30 मई, 1985

का. आ. 428 (अ) :— यतः इस आयोग ने अपने द्वारा अपनाई जाने वाली कार्यविधि के संबंध में जांच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा 8 के अधीन, दिसम्बर 5, 1984 को विनियम बनाए हैं; और

यतः आयोग विद्यमान विनियम सं. 4 को विलोपित करना चाहता है और उसके स्थान पर नया विनियम सं. 4 प्रतिस्थापित करना चाहता है, जो निम्न प्रकार पढ़ा जाए :—

"4. आयोग का कार्यालय केन्द्रीय सरकार द्वारा मनाई जा रही छुट्टियों से इतर अन्य सभी दिनों में, प्रातः 10.00 बजे से दोपहर बाद 1.30 बजे तक और दोपहर बाद 2.00 बजे से सांय 6.00 बजे तक कार्य करेगा।"

प्रतिस्थापित विनियम 3 जून, 1985 से लागू होगा ।

निदेश दिया जाता है कि इस प्रकार संशोधित विनियम सरकार के राजपत्र में शीघ्र प्रकाशित किया जाये ।

[संख्या 28/4/84-टी . सी . आई .]

न्यायमूर्ति एम . पी . ठक्कर, अध्यक्ष ठक्कर जांच आयोग ।

THAKKAR COMMISSION OF INQUIRY

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 30th May, 1985

S.O. 428(E).---Whereas the Commission has framed regulations under Section 8 of the Commissions of Inquiry Act, 1952 in regard to the procedure to be followed by the Commission, on December 5, 1984; and

Whereas the Commission desires to delete the existing regulation No. 4 and substitute the same by new regulation No. 4 reading as under :—

> "4. The Office of the Commission shall function from 10.00 A.M. to 1.30 P.M. and 2.00 P.M: to 6.00 P.M. on all days other than holidays observed by the Central Government."

The substituted Regulation shall come into force with effect from June 3, 1985.

It is directed that the Regulation so amended shall be published in the Government Gazette at an early date.

[No. 28|4|84-TCI]

JUSTICE M. P. THAKKAR,
CHAIRMAN
THAKKAR COMMISSION OF INQUIRY.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1985